भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4417
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

राष्ट्रीय नेताओं के बारे में फर्जी खबरें

4417. श्री शफी परम्बिलः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विभिन्न ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गांधी, नेहरू और पटेल सहित हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में दुर्भावनापूर्ण झूठ और फर्जी खबरों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में झूठी खबरें और गपशप फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में झूठ और फर्जी खबरें फैलाने के लिए किसी व्यक्ति या मीडिया के खिलाफ की गई आपराधिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं (दिनांक 25 फरवरी, 2021)।

इन नियमों के भाग-III में, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों द्वारा अनुपालन के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। इसमें केबल टेलीविजन

नेटवर्क अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन शामिल है।

आईटी नियमों के तहत आचार संहिता के अनुपालन के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम संहिता और पत्रकारिता के आचरण के मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी सामग्री का प्रसार न करें जो गलत, भ्रामक, झूठी या अर्धसत्य हो।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित आईटी नियमों का भाग II, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थों पर ऐसी सूचना के प्रसार को रोकने का दायित्व डालता है जो स्पष्ट रूप से गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति की हो।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जाँच के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही सूचना पोस्ट करती है।

******